

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं. 71/22 दिनांक 4/3/2022
2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
(II) * अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें 120 बी.....
(III) * अधिनियम धारायें
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 87 समय . 5:30 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन गुरुवार दिनांक 03.03.2022 समय 01:19 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.02.2022 समय 11:50 ए.एम
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :- कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- उत्तर दिशा, लगभग 13 किमी.
(ब) कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर
..... बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम श्री अशोक कराडिया
(ब) पिता/पति का नाम श्री सीताराम कराडिया
(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब 44 साल.....
(द) राष्ट्रीयता भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय - अध्यापक
(ल) पता - निवासी- मु. पो. खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

1. श्री सुभाष सिंह सेपट पुत्र श्री सूरजमल, निवासी- ग्राम मलिकपुरा, जयपुर हाल तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर
2. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी-प्लॉट नम्बर 49, बालाजी विहार, ए रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 27,000 रुपये
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री अशोक कराडिया पुत्र श्री सीताराम कराडिया, मु. पो. खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि -“सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय S.U-II ACB जयपुर विषय:- रिश्वत खोरो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसीलदार आमेर जिला जयपुर स्थित कार्यालय में मेरे द्वारा मेरी कृषि भूमि जो खोरा बीसल तह आमेर जयपुर में स्थित है के लिए अतिक्रमण हटवाने हेतु 183-B का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर परिवाद दायर किया। जिसका निर्णय विगत छः माह से नहीं किया गया। इस सम्बंध में मैंने तहसील आमेर कार्यालय में सम्बंधित बाबू चन्द्रशेखर से सम्पर्क किया तो उसने निर्णय शिघ्र करवाने के पेटे 50,000 / रुपये की मांग की जिसमें 20,000 रुपये खुद के व शेष राशि उच्च अधिकारी तहसीलदार को देने हेतु मांग की। इस पर मैंने उक्त राशि कम करने का निवेदन किया तो वह उक्त राशि कम नहीं की, उसने मुझे तहसीलदार से दिनांक 17.02.2022 को सुबह फोन करके कहा कि आज आप के केस का निर्णय करवा दुंगा। आज आप office (तहसील कार्यालय) आ जाओ दोपहर बाद मैं तहसील कार्यालय गया तो उसने मुझे दो घण्टे इन्तजार करवाने बाद तहसीलदार आमेर द्वारा मेरे पक्ष में किये गये निर्णय की हस्ताक्षरीत कॉपी दिखाई तथा कहा कि आप रुपयो का इन्तजाम करो मैं इसको Process में ले लूंगा। मेरा बाबू श्री चन्द्रशेखर एवं अन्य किसी से कोई रुपयो का लेन देन एवं आपसी रंजीश नहीं है। मैं रिश्वत लेने वालो को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करे। दिनांक 22/02/2022 एस.डी अशोक कराडिया प्रार्थी अशोक कराडिया S/O श्री सीताराम कराडिया, मु. पो. खोराबीसल, तह आमेर, जिला जयपुर Mob- 8561861786”। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताया। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि तहसील आमेर में पिछले कई महिनो से तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है एवं तहसीलदार का चार्ज श्री सुभाष सिंह सेपट, नायब तहसीलदार, तहसील आमेर के पास है। श्री सुभाष सिंह सेपट, नायब तहसीलदार अब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं एवं उनका तबादला तहसीलदार निर्वाचन सवाईमाधोपुर के पद पर हो रखा है परन्तु अभी रिलीव नहीं हुये हैं। लिखित प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि अभी मैं कुछ दिन पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हूँ। आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करवाउंगा।

दिनांक 28.02.2022 को परिवादी श्री अशोक कराडिया कार्यालय उपस्थित आये तथा बताया कि मैं इतने दिन पारिवारिक कार्यों में व्यस्त था इसलिये आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। आज मैं तहसील कार्यालय, आमेर जाकर मेरे काम के सम्बंध में सम्बंधितों से बातचीत करूंगा। जिस पर श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अशोक कराडिया से परिचय करवाया जाकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी के दो विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर दोनो में San Disk 16 GB के माईक्रो एसडी कार्ड डालकर, दोनों डिजिटल वाईस रिकॉर्डरो एवं माईक्रो एसडी कार्डो को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। श्री रूपकिशोर कानि. को दोनो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जाये एवं परिवादी द्वारा संदिग्धों से बातचीत करने से पूर्व दोनो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे एवं अपना छुपाव करते

हुये परिवादी एवं संदिग्धों को देखने एवं उनके मध्य होने वाले बातचीत को सुनने का यथा सम्भव प्रयास करे। परिवादी एवं श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मुनासिब हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। दिनांक 22.02.2022 को समय 01:50 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कराडिया एवं कानि. श्री रूपकिशोर उपस्थित कार्यालय आये एवं श्री रूपकिशोर कानि. ने दोनो डिजिटल वाईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये। परिवादी श्री अशोक कराडिया ने बताया कि मैं एवं रूपकिशोर कानि. मेरी मोटरसाईल से ए.सी.बी. कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय आमेर के बाहर पहुंचे जहां रूपकिशोर कानि. ने दोनो रिकॉर्डर चालु करके मुझे सुपुर्द किये। मैंने तहसील कार्यालय में जाकर बाबू श्री चन्द्रशेखर से मेरे काम के सम्बंध में बातचीत की। जिस पर श्री चन्द्रशेखर ने मुझे बताया कि आपके प्रार्थना पत्र पर अतिक्रमण हटवाने के आदेश करवाकर कार्यवाही हेतु सम्बंधितों को भेज दिया है। इसके बाद बाबू श्री चन्द्रशेखर ने मुझे तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट से मिलवाया। जहां बाबू श्री चन्द्रशेखर ने तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट के लिये 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट ने बाबू श्री चन्द्रशेखर के लिये 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट ने मुझे कहा कि रिश्वत राशि अभी दे दो। जिस पर मैंने तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट को कहा कि अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है परसो मैं आपको पैसे दे दुगां। जिस पर तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट ने कहा कि परसो या तो आप मुझे पैसे दे देना, यदि मैं आफिस में नहीं मिलू तो आप बाबू श्री चन्द्रशेखर को उक्त राशि दे देना। इसके अलावा भी मेरी व तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट एवं बाबू श्री चन्द्रशेखर से रिश्वत के संबंध में और वार्ता भी हुई जो आपके रिकार्डर में रिकार्ड है। कानि. रूपकिशोर ने परिवादी श्री अशोक कराडिया के कथनों की ताईद की। डिजिटल वाईस रिकार्डर में सेव रिश्वत वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड़कर सुना गया तो परिवादी श्री अशोक कराडिया एवं कानि. रूपकिशोर के कथनों की ताईद होती है। वार्ता में बाबू श्री चन्द्रशेखर परिवादी श्री अशोक कराडिया से कहता है कि "बीस कर दोगे" जिस पर परिवादी कहता है कि "किसका ? साहब का ?" जिस पर बाबू श्री चन्द्रशेखर कहता है कि "साहब का" जिस पर परिवादी कहता है कि "बीस हजार, साहब के बीस हजार और फिर आपके ?" जिस पर संदिग्ध चन्द्रशेखर बाबू परिवादी से कहता है कि "मेरे तो देख लेना साहब के तो बता दिये आपको ठीक है ना" इसके अलावा तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट बाबू चन्द्रशेखर के लिये परिवादी से कहता है कि "सात हजार रुपये मेहनत करी है" जिस पर परिवादी तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट से कहता है कि "हां पांच सात हजार..... ठीक है, आपको देना है यहां पे" जिस पर तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट कहता है कि "नहीं दे जाओ चाहे अभी"। दोनो रिकॉर्डरों को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा अपनी कृषि भूमि से अतिक्रमण हटवाने हेतु तहसील कार्यालय, आमेर में प्रस्तुत 183-बी प्रार्थनापत्र पर किये गये आदेशों के प्रतिफल के रूप में संदिग्ध तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट एवं बाबू श्री चन्द्रशेखर द्वारा मिलीभगत करके बाबू श्री चन्द्रशेखर ने तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट के लिये परिवादी से 20 हजार रुपये एवं तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट ने बाबू श्री चन्द्रशेखर के लिये परिवादी से 7 हजार रुपये कुल 27 हजार रुपये की एक दूसरे की उपस्थिति में मांग करना एवं दोनों के रिश्वत मांग से सहमत होने की पुष्टि हुई है। अब तक की कार्यवाही से रिश्वत मांग का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। संदिग्धों द्वारा रिश्वत राशि अभी देने की कहने पर परिवादी ने परसों रिश्वत राशि देने की बात कही है। दिनांक 02.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 02.03.2022 को परिवादी पारिवारिक कार्य में व्यस्त होने के कारण ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं हो सका।

दिनांक 03.03.2022 को समय 11:00 ए.एम पर परिवादी श्री अशोक कराडिया तथा पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल नावरियां पुत्र श्री कैलाश चन्द नावरियां, उम्र 24 साल, जाति खटीक, निवासी- एल.बी.एस. कॉलोनी, वार्ड नं. 16, पुलिस थाना- चाकसू, जिला जयपुर हाल- सहायक कर्मचारी, कार्यालय, कार्यालय- उपायुक्त आदर्श नगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर 2. श्री दामोदर मीणा पुत्र श्री रामफूल मीणा, उम्र-30 साल, जाति मीणा, निवासी- मूंडली, पुलिस थाना शिवदासपुरा, तहसील- बरसी, जिला जयपुर। हाल- सहायक कर्मचारी, कार्यालय, कार्यालय- उपायुक्त आदर्श नगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री अशोक कराडिया से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढ़कर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 03.03.2022 समय 11:15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अशोक कराडिया को संदिग्ध तहसीलदार श्री सुभाष सिंह सेपट, बाबू श्री चन्द्रशेखर, तहसील आमेर, जिला जयपुर को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 27 हजार रुपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500/- रुपये के 54 नोट कुल 27,000/- रुपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर

उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 27,000/- रुपये को रखकर उक्त नोटों पर श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री अशोक कराडिया की जामातलाशी गवाह श्री राहुल नावरियां से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नहीं रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री अशोक कराडिया की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक से रखवाया गया तथा श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री अशोक कराडिया व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अशोक कराडिया को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 9571744744 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोड़कर नमस्कार करें। परिवादी को भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहाँ पर रखता है। तत्पश्चात श्री खेमचन्द, वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैंने भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे दोनों डिजिटल वॉइस रिकॉर्डरो को श्री रुपकिशोर कानि. 74 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री अशोक कराडिया जब संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, उससे पूर्व दोनों रिकॉर्डरो को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। परिवादी श्री अशोक कराडिया को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेने देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 03.03.2022 को समय 12:15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय टीम एसीबी मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं ट्रेप उपकरणों के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 12:50 पीएम पर तहसीलदार कार्यालय आमेर, जिला जयपुर के पास पहुंच कर परिवादी को दोनों रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर रवाना तहसीलदार कार्यालय आमेर किया गया। समय 01:19 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कराडिया ने अपने मोबाईल नम्बर 85618-61786 से मेरे मोबाइल नम्बर 95717-44744 पर कॉल कर रिश्वत देने के बारे में बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ए.सी.बी. जाप्ता के कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर में दाहिनी तरफ प्रथम तल पर कोर्ट शाखा में पहुंचा तो जहां परिवादी श्री अशोक कराडिया गेट के पास मिला, जिससे दोनों डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर उनको बंद कर अपने कब्जे में लिये। इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान व टीम के साथ उक्त कार्यालय में प्रवेश किया तो उक्त कार्यालय में बीच की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसकी तरफ परिवादी श्री अशोक कराडिया ने ईशारा कर बताया कि यही श्री चन्द्रशेखर जी है जिन्होंने अभी मेरे से 27,000 रुपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने बांये हाथ में लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपने पहने हुये पेंट की

बांयी ओर की सामने की जेब में रखे हैं। इस पर उक्त व्यक्ति का बांया हाथ गवाह श्री दामोदर मीणा स्वतंत्र गवाह एवं दाहिना हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से कलाई से पकडवाये गये। उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी-प्लॉट नम्बर 49, बालाजी विहार, ए रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर होना बताया। इस पर आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद से परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इन्होंने (परिवादी) राजी होकर खुद ही पैसे दिये हैं। इस पर परिवादी श्री अशोक कराडिया ने कहा कि मेरे द्वारा कार्यालय तहसीलदार आमेर में मेरी कृषि भूमि जो खोरा बीसल तह आमेर जयपुर में स्थित है के लिए अतिक्रमण हटवाने हेतु 183-B का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद दायर किया। जिसका निर्णय विगत छः माह से नहीं किया गया। इस सम्बंध मे मैने तहसील आमेर कार्यालय में सम्बंधित बाबू चन्द्रशेखर से सम्पर्क किया तो उसने निर्णय शिघ्र करवाने के पेटे 50,000/- रुपये की मांग की जिसमें 20,000 रुपये खुद के व शेष राशि उच्च अधिकारी तहसीलदार को देने हेतु मांग की। इस पर मैने उक्त राशि कम करने का निवेदन किया तो वह उक्त राशि कम नहीं की, उसने मुझे तहसीलदार से दिनांक 17.02.2022 को सुबह फोन करके कहा कि आज आप के केस का निर्णय करवा दूंगा। इसके बाद मुझे office (तहसील कार्यालय) में बुलाया और इन्होंने मुझे तहसीलदार आमेर द्वारा मेरे पक्ष में किये गये निर्णय की हस्ताक्षरीत कॉपी दिखाई तथा कहा कि आप रुपयो का इन्तजाम करो मै इसको Process में ले लूंगा। इसके बाद दिनांक 28.02.2022 को श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार व इनसे मिला तो इन्होंने (श्री चन्द्रशेखर प्रसाद) तहसीलदार सुभाष सिंह के लिये बीस हजार रुपये देने एवं श्री सुभाष सिंह ने श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के लिये सात हजार रुपये कुल 27 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद व श्री सुभाष सिंह सेपट के निवास की खाना तलाशी लिवाई जाने हेतु एवं आरोपी श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार को दस्तयाब करने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात एक ग्लास के धोल में आरोपी चन्द्रशेखर प्रसाद के दाहिने हाथ की अंगुलियों को ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमशः R-1 व R-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी चन्द्रशेखर प्रसाद के बांये हाथ की अंगुलियों को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी परिवर्तित हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमशः L-1 व L-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री राहुल नावरिया से आरोपी चन्द्रशेखर प्रसाद की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की बाईं तरफ की सामने की जेब में 500-500 के 54 नोट मिले। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से करवाया गया तो गवाहान ने 500-500 के 54 नोटों के नम्बर पेशकशी रिश्वत राशि में अंकित हुबहू होना बताया। उपरोक्तानुसार बरामदशुदा रिश्वती राशि 27 हजार रुपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद को बाजार से एक पायजामा मंगवाकर पहने के लिए दिया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर ट्रेप बाक्स से एक कांच का साफ गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर मिश्रण रंगहीन होना स्वीकार किया। उसके पश्चात उक्त ग्लास के धोल में आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद की पेन्ट की बाईं ओर की सामने की जेब को उलट कर उसको ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया,

जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमश: LPPW-1 व LPPW-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद की पेन्ट की जेब को सुखा कर जेब पर सम्बन्धितों हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रख कर थैली पर मार्का-P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील मोहर कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार के आज मेडिकल अवकाश पर होने एवं आमेर तहसील में नवनियुक्त तहसीलदार श्री अनुराग यादव के अवकाश पर होने एवं आज तहसीलदार आमेर का चार्ज श्री सुमेर सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार, मुडोता के पास होने पर उनको तलब कर मौके पर बुलाया गया। आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद से परिवादी श्री अशोक कराडिया की कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाने सम्बंधी पत्रावली के बारे में पूछा तो सामने लोहे की रैक में पत्रावलीयों के बीच से उक्त पत्रावली निकालकर पेश की जिस पर उक्त पत्रावली के पेंज संख्या 01 से 55 अंकित करवाये जाकर पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर श्री सुमेर सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार, मुडोता हाल चार्ज तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर से प्रमाणित करवाया जाकर कब्जा ए.सी.बी लिया गया एवं मूल पत्रावली श्री सुमेर सिंह शेखावत को लौटाई गई। उक्त कार्यवाही के दौरान समय 02:15 पी. एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519 को अन्य आवश्यक राजकार्य हेतु मौके से खाना किया गया। पूर्व में परिवादी से प्राप्त किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को चालू कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्डर होना पाई गई, जिन्हे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। उक्त हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं जप्ती पत्रावली की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.30 पी.एम. पर घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:45 पी.एम. पर आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद को उसके संवैधानिक अधिकारों एवं जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। समय 4:35 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, जप्तशुदा आर्टिकल्स मय रिश्वत राशि 27,000 रु के घटनास्थल से खाना होकर 5:35 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। परिवादी श्री अशोक कराडिया एवं स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल नावरिया एवं श्री दामोदर मीणा को कल दिनांक 04.03.2022 को सुबह कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब कर रुखसत किया गया। आरोपी से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 11:00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अशोक कराडिया व स्वतंत्र गवाहान श्री दामोदर मीणा एवं श्री राहुल नावरिया की उपस्थित में पूर्व में कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा हुआ विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकालकर विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर उसमें लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 28.02.2022 रिश्वत मांग सत्यापन एवं दिनांक 03.03.2022 रिश्वत लेन देन के समय रिकार्ड वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल नावरिया एवं श्री दामोदर मीणा के समक्ष परिवादी श्री अशोक कराडिया से अपनी एवं आरोपी श्री चन्द्रशेखर एवं श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार की आवाज की पहचान करवाई गई तो परिवादी श्री अशोक कराडिया ने अपनी एवं श्री चन्द्रशेखर एवं श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार की आवाज की पहचान की। उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग डीवीडी में राईट/बर्न किया गया। वाईस क्लिप डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनों डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात तीनों डीवीडी पर कमश: मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1 व मार्का A-2 डीवीडी को दो पृथक पृथक डीवीडी कवर में रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर कमश: मार्का A-1, A-2 अंकित किये जाकर थैलीयों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A-3 डीवीडी को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB) जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड हैं को एक प्लास्टिक छोटी पारदर्शी की खाली

डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली में रख कर मार्क A-4 अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री सुभाष सिंह सेपट, तहसीलदार आमेर जिला जयपुर अपने मशकन से रुहपोश हो गया है जिसकी तलाश जारी है।


अब तक की कार्यवाही से आरोपी 01. श्री सुभाष सिंह सेपट पुत्र श्री सूरजमल, निवासी—ग्राम मलिकपुरा, जयपुर हाल तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर एवं 02. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी—प्लॉट नम्बर 49, बालाजी विहार, ए रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर के द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र की रचना कर परिवादी श्री अशोक कराडिया से उसकी कृषि भूमि से अतिक्रमण हटवाने हेतु उसके द्वारा तहसील कार्यालय, आमेर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अतिक्रमण हटवाने हेतु किये गये आदेशों के प्रतिफल के रूप में आरोपी श्री सुभाष सिंह सेपट के लिये 20 हजार रुपये एवं आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के लिये 7 हजार रुपये कुल 27,000/- रुपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 03.03.2022 को आरोपी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के द्वारा परिवादी श्री अशोक कराडिया से 27,000 रुपये अनुचित लाभ के रूप में प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. में प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी 01. श्री सुभाष सिंह सेपट पुत्र श्री सूरजमल, निवासी—ग्राम मलिकपुरा, जयपुर हाल तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर एवं 02. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी—प्लॉट नम्बर 49, बालाजी विहार, ए रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट—द्वितीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1.श्री सुभाष सिंह सेप्ट, तहसीलदार, आमेर जिला जयपुर एवं 2.श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 71/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


4/3/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 648-53 दिनांक 4.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।


4/3/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।